FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

मोटाराम बनाम पुनाराम वगैरा

किस्म मुकदमा 251 (A) RTAct नं. 113/2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/03/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ एडवो. ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 251(A) RTAct राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 04/05/2021 को पेश हो। [illegible] 30/3/2021 (मुहर: [illegible] कलक्टर (SDO) बायतु [illegible])	
04/05/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक - 06/07/2021 को पेश हो।	
06/07/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों की एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक - 09/09/21 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
09/09/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको करीब 4 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। जिनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय समक्ष तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 16/11/2021 को पेश हो।
	सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर
16/11/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इलत्वा होकर आगामी दिनांक 09/02/2022 को पेश हो।
09/02/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 02/05/2022 को पेश हो।
	सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर

[illegible] तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/05/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक – 06/06/2022 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
06/06/2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय – बाड़मेर पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 30/08/2022 को पेश हों। [signature]	
30/08/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश से पधारे हुए हैं अतः मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 12/09/2022 को पेश हो। [signature]	
12/09/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की मूल आवेदन व तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड एवम् तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली मुकम्मल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु, जिला–बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 113 / 2021 दिनांक :– 12/09/2022

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1. मोटाराम पुत्र तुलछाराम जाति सुथार निवासी माडपुरा पुराना गांव, तहसील बायतु जिला बाड़मेर	बनाम	1. लुणाराम पुत्र रावताराम 2. लक्ष्मणाराम पुत्र मोडाराम जाति कुम्हार निवासी माडपुरा पुराना गांव, तहसील बायतु जिला बाड़मेर

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 –क (1) रा.का.अधिनियम

Application for permission under sub-section (1) pf section 251-A of the Rajasthan tenancy Act, 1955

उपस्थिति :– 1. श्री खेताराम जाखड़ अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

प्रार्थी ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 464 / 374 रकबा 2.5322 हैक्टेयर ग्राम माडपुरा पुराना गांवं पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायतु से सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 519 / 370 रकबा 1.4238 हैक्टेयर में से होकर 12 फीट रास्ता स्थापित कर खुलवाने हेतु यह आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश किया।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब आवेदन तलब किया। विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकतरफका कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में मौका रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार बायतु को लिखा गया। मौका रिपोर्ट तहसीलदार बायतु द्वारा तैयार की गई। तहसीलदार बायतु ने मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 464 / 374 रकबा 2.5322 में से होकर सड़क तक पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 519 / 370 रकबा 1.4238 हैक्टेयर में से रास्ता चाहा गया है, से रास्ता निकाला जाना उचित है। विप्रार्थीगण संख्या 2 ने रास्ते बाबत् दिनांक 12.01.2022

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

...हसीलदार बायतु जरिये राजस्थान सरकार के पक्ष में मौजा माडपुरा पुराना गॉव पटवार ...का माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 514/371 रकबा 2.8315 हैक्टेयर भूमि में से 0.0809 हैक्टेयर भूमि समर्पित करवायी गयी। जिसका नया खसरा नम्बर 553/514 रकबा 0.0809 हैक्टेयर है। उक्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक मार्ग वर्तमान में नहीं चल रहा है। सड़क से कम दूरी व मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शें में बरंग हरा से रास्ता प्रस्तावित किया गया है तथा प्रस्तावित रास्ते का रकबा खसरा नम्बर 519/370 में से 0.0809 हैक्टेयर है। जिसमें कोई भी निर्माण नहीं है।

तहसील कार्यालय से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी वकील ने अपने आवेदन के तथ्य दोहराते हुए प्रकट किया कि प्रार्थी विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 519/370 से मौका रिपोर्ट में बताये रास्ते अनुसार ही मुख्य मार्ग तक पहुंचने हेतु आता जाता रहा है। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के आवागमन हेतु अन्य कोई नजदीकी व वैकल्पिक मार्ग नहीं है। अंत में निवेदन किया कि मौके पर मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता कायम किया जाये। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण को रास्ते हेतु नियमानुसार मुआवजा राशि अदा करने हेतु सहमत है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना, उनके कथनो पर मनन किया व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। धारा 251 (क) (1) अनुसार जब कोई अभिधारी अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारो की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है और मामला खातेदारान् के मध्य पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो न्यायालय में इस हेतु आवेदन पेश होने पर यह साबित करना आवश्यक है कि प्रस्तावित रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।

प्रार्थी के अनुसार जिस रास्ते को उसने प्रस्तावित किया है वह रास्ता मौके पर कदीम से विधमान है। प्रार्थी को इस रास्ते की अत्याधिक आवश्कता स्पष्ट है क्योंकि इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जहां से होकर प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 464/374 तक पहुंच सकें।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम माडपुरा पुराना गांव पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला तहसील बायत के खसरा नम्बर 464/374 रकबा 2.5322 तक पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 519/370 में से 0.0809 हैक्टेयर का रास्ता मौका रिपोर्ट के

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

नक्शे में बरंग हरे से दर्शाये गये प्रस्तावित रास्ते के अनुसार कायम किया जाता है। जो [illegible] रास्ते को जोड़ता है।

उक्त भूमि के खसरा नम्बर 519/370 का प्रतिकर डी.एल.सी. की दर प्रति बीघा से दुगना देय होगा। तहसीलदार बायतु प्रार्थी को रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 0.0809 की राशि 1,03,102/– तहसील कार्यालय में जमा कराने हेतु सूचित करें तथा प्रतिकर की राशि तहसील कार्यालय में जमा होने पर इस आदेश का भू अभिलेख में अंकन करे तथा प्रतिकर Compensation राशि 1,03,102/– नियमानुसार विप्रार्थीगण संख्या 1 को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 12/09/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
बायतु